

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-796/01सेवा का अधिकार/19

दिनांक- 6 /08/2019

प्रिय महोदय,

सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारियों को प्राप्त अपील- पंजीकरण, निस्तारण एवं सूचना संचरण के सम्बन्ध में पाश्चात्तिक पत्रों का अवलोकन करे,

- | | |
|--|--|
| 1-पत्र संख्या-885/01सेवा का अधिकार/18दि0-10.08.2018 | जिनके द्वारा प्रकरण में आयोग के पत्र संख्या-471/19-03 (45)/2017 दिनांक-20.05.2019 की प्रति मयसंलग्नकों सहित संलग्न कर पत्र में वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गयी |
| 2-पत्र संख्या-1132/01सेवा का अधिकार/18दि0-31.10.2018 | |
| 3-पत्र संख्या-355/01सेवा का अधिकार/19दि0-30.05.2019 | |
| 4-पत्र संख्या-409/01सेवा का अधिकार/19 दि0-12.06.2019 | |
| 5-पत्र संख्या-529/01सेवा का अधिकार/19 दि0-04.07.2019 | |

कार्यवाही एवं माननीय आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों से अनुपालन आख्या प्राप्त कर दिनांक-05.07.2019 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को पूर्व प्रेषित प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था । परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रकरण में आपके द्वारा संकलित सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर आतिथि तक भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं राजकीय कार्यों के प्रति उदासीनता परिलक्षित करती है । इस सम्बन्ध में माननीय आयोग द्वारा अपने पूर्व प्रेषित पत्रों पर अब तक की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचनाओं सहित दिनांक-13.08.2019 को माननीय आयोग के सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र दिनांक- 04.07.2019 के साथ संलग्नक आयोग के पत्र दिनांक-18.09.2018 में वर्णित तथ्यों के आधार पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुये माननीय आयोग के पत्र दिनांक-24.10.2016 के अनुसार मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराते हुये उपरोक्तानुसार सूचनायें इस कार्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक- 08.08.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । निर्धारित तिथि तक सूचनायें प्राप्त न होने पर बाध्य होकर प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे । प्रकरण समयबद्ध है अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

इं.....

मुख्य अभियन्ता,

क्षेत्रीय /रा0मा0 /वर्ल्ड बैंक/

पी0एम0यू0 /ए0डी0बी0लो0नि0वि0,

..... ।

भवदीय

(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता,(मुख्यालय)/द्वितीय अपीलीय अधिकारी,(सेवा का अधिकार)लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
2. निदेशक क्वालिटी एवं प्रमोशन/प्रथम अपीलीय अधिकारी,(सेवा का अधिकार) लोक निर्माण विभाग देहरादून ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सेवा का अधिकार),विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, ।
5. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0),विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वर्णित पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

06.8.19
मुख्य अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता